कार्यालय नियंत्रक प्राधिकारी
(महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर)

ई–मेल : psa.hgcd.rj@nic.in Website : http://home.rajasthan.gov.in

क्रमांकः– प.37(प्रा.उ.)एचजी/पीएसएएल/2020/6455 दिनाकः– 15 JUN 2020

–:: परामर्शदात्री ::–

समस्त निजी सुरक्षा अभिकरण एवं निजी सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान हेतु

प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 एवं राजस्थान प्राइवेट सुरक्षा एजेन्सी (विनियमन) नियम 2006 के अन्तर्गत निजी सुरक्षा अभिकरण व निजी सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का लाइसेन्स प्राप्त करने वाले आवेदको द्वारा लाइसेन्स प्राप्त करने के पश्चात अभिकरण एवं प्रशिक्षण संस्थान के संचालन में पसारा अधिनियम की धारा 9,10,11,12,15,17 एवं 21, राजस्थान प्राइवेट सुरक्षा एजेन्सी (विनियमन) नियम 2006 के नियम 6,7,8,9,10,15,16, एवं 17 तथा निजी सुरक्षा गार्ड, पर्यवेक्षक व प्रबन्धक के प्रशिक्षण हेतु निर्धारित राष्ट्रीय व्यवसायिक मानक (एन.ओ.एस.) की पालना करना आवश्यक है। नियंत्रक प्राधिकारी (महानिदेशक, गृह रक्षा) द्वारा प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा 16 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग कर राज्य में वैधानिंक रूप से संचालित कुछ निजी सुरक्षा अभिकरणों व निजी सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थानों का वर्ष 2019–20 का वार्षिक निरीक्षण करवाया गया। निरीक्षण उपरान्त यह तथ्य प्रकाश में आया है कि अधिकांश निजी सुरक्षा अभिकरणों तथा निजी सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा उपरोक्त वर्णित प्रावधानो का समुचित रूप से पालन नही किया जा रहा है।

1. निजी सुरक्षा अभिकरण

निरीक्षण के दौरान सामान्यतया निजी सुरक्षा अभिकरणों के संचालन में निम्नलिखित विसंगतियां पायी गयी हैं :

(i) प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा 9(1) के तहत निजी सुरक्षा अभिकरण को कार्य प्रारम्भ करने की सूचना 6 माह के भीतर नियंत्रक प्राधिकारी को देनी होती है, जो कि कुछ निजी सुरक्षा अभिकरणों द्वारा प्रेषित नही की जा रही है।

(ii) अधिनियम, 2005 की धारा 9(2), 10(1)(घ) एवं नियम 2006 के नियम 8 के अनुसार निजी सुरक्षा पर्यवेक्षक/निजी सुरक्षा गार्ड के नियोजन से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि इनको निजी सुरक्षा का कार्य करने हेतु प्रशिक्षण प्राप्त है। कुछ निजी सुरक्षा अभिकरणों द्वारा इस महत्वपूर्ण प्रावधान की अनदेखी की जा रही है।

(iii) अधिनियम, 2005 की धारा 9(3), 10(1) एवं नियम 2006 के नियम 10 के अनुसार कम से कम प्रत्येक पन्द्रह निजी सुरक्षा गार्ड पर एक निजी सुरक्षा पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जानी चाहिए व यदि सुरक्षा गार्ड भिन्न भिन्न परिसर में सुरक्षा ड्यूटी पर है तो प्रत्येक छः गार्ड पर एक पर्यवेक्षक उपलब्ध होना चाहिए। निजी सुरक्षा अभिकरणों द्वारा उपरोक्त अनुपात में पर्यवेक्षक नियुक्त नही करने से निजी सुरक्षा सेवा की गुणवत्ता क्षीण होती है।

––2

(iv) अधिनियम, 2005 की धारा 9(4), 10(1)(ग) एवं नियम, 2006 के नियम 7 के अनुसार निजी सुरक्षा पर्यवेक्षक व निजी सुरक्षा गार्ड का चरित्र सत्यापन सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक से करवाया जाना अनिवार्य है। कुछ अभिकरणों द्वारा इस महत्वपूर्ण प्रावधान की भी अनदेखी की जा रही है।

(v) अधिनियम,2005 की धारा 10(1)(ड़) एवं राजस्थान प्राइवेट सुरक्षा एजेन्सी (विनियमन) नियम 2006 के नियम 9 के अनुसार निजी सुरक्षा एजेन्सी द्वारा नियोजित निजी सुरक्षा पर्यवेक्षक/निजी सुरक्षा गार्ड के स्वास्थ्य मानक तय किये गये है जिनका स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाना आवश्यक होता है। कुछ अभिकरणों द्वारा इस महत्वपूर्ण प्रावधान की अनदेखी की जा रही है।

(vi) अधिनियम, 2005 की धारा 11 एवं नियम, 2006 के नियम 6 के अनुसार निजी सुरक्षा एजेन्सी द्वारा प्रबन्धन के प्रत्येक सदस्य के नाम, माता–पिता के नाम, जन्म तिथि, स्थायी पता, पत्र व्यवहार का पता और एजेन्सी कार्यालय पता परिर्वतन की सूचना 07 दिवस में नियंत्रक प्राधिकारी को दी जानी आवश्यक है। प्रायः यह देखने में आया है कि लाइसेन्स प्राप्ति के पश्चात् कई अभिकरण कार्यालय में दिये गये पते पर कार्यालय संचालन बन्द कर देते है एवं नये पते पर कार्यालय स्थापित कर लेते है। कुछ निजी सुरक्षा अभिकरणों द्वारा उपरोक्त वर्णित सूचनाएँ समय पर प्रेषित नही की जाकर उपरोक्त प्रावधनो का स्पष्ट उल्लंघन किया जा रहा है।

(vii) अधिनियम,2005 की धारा 15(1) के तहत निजी सुरक्षा एजेन्सी द्वारा नामांकित किये जाने वाले समस्त निजी सुरक्षा गार्ड के पंजीयन हेतु नोमिनल रोल (पंजीयन रजिस्टर) रखना अनिवार्य है जिसके तहत एजेन्सी का प्रबंधन कर रहे व्यक्तियों का विवरण तथा पंजीकृत निजी सुरक्षा पर्यवेक्षक/निजी सुरक्षा गार्ड का विवरण जैसे कि नाम,पिता का नाम, फोटोग्राफ, वेतन इत्यादि अंकित हो। साथ ही एजेन्सी द्वारा नियोक्ता, जिसको निजी सुरक्षा की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, का विवरण भी अंकित किया जाना आवश्यक होता है। कुछ निजी सुरक्षा अभिकरणों द्वारा उपरोक्त रजिस्टर का संधारण सही तरीके नही किया जा रहा है।

(viii) अधिनियम, 2005 की धारा 17 एवं नियम, 2006 के नियम 16 के अनुसार निजी सुरक्षा अभिकरण द्वारा नियोजित कार्मिक/पर्यवेक्षक/गार्ड को उपधारा 2(1) के तहत निर्धारित प्रारूप में पहचान पत्र जारी किया जाना चाहिए। विभिन्न अभिकरणों द्वारा धारा 17 व नियम 16 के इन प्रावधानो का उल्लंघन किया जा रहा है।

(ix) अधिनियम 2005 की धारा 21 व राजस्थान प्राइवेट सुरक्षा एजेन्सी (विनियमन) नियम 2006 के नियम 17 के अनुसार अभिकरणों के सुरक्षा गार्डो द्वारा दैनिक ड्यूटी लाइसेन्स प्राप्त करते समय निर्धारित की गई यूनिफॉर्म मे ही निर्वहन करना अनिवार्य है। जिसमें अभिकरण का आर्म बैज, पद के लिए कन्धा या सीना बैज, डोरी से बंधी सीटी, फीतेदार जूते, फोटोयुक्त पहचान पत्र एवं नोटबुक के साथ ड्यूटी पर नियोजित किया जाना चाहिए। साथ ही अभिकरणों द्वारा भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, एवं भारत के सशस्त्र बल, राज्य पुलिस, सशस्त्र पुलिस के द्वारा धारण की जाने वाली वर्दी के समान गणवेश का प्रयोग नही किया जाना चाहिए। कुछ अभिकरणों द्वारा गणवेश धारण हेतु निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

––3

(x) प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 की अनुसूची के अंगीकृत (1) मजदुरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) व (2) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 1) का भी उल्लंघन किया जा रहा है जिसके सम्बन्ध में कई शिकायतें नियंत्रक प्राधिकारी को प्राप्त होती रहती हैं।

2. निजी सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान

निजी सुरक्षा गार्डस/पर्यवेक्षक/प्रंबधक के प्रशिक्षण हेतु सम्पर्ण भारत वर्ष में राष्ट्रीय व्यवसायिक मानक (एन.ओ.एस.) निर्धारित कर दिनांक 27.12.2018 से लागू कर दिये गये है जिसकी सूचना इस कार्यालय पत्र संख्या 3530–3560 दिनांक 06.02.2019 द्वारा सभी निजी सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थानों को दी जा चुकी है। नियंत्रक प्राधिकारी (महानिदेशक, गृह रक्षा) द्वारा वर्ष 2019–20 में विभिन्न निजी सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थानों का निरीक्षण करवाया गया जिसके दौरान कुछ निजी सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान राष्ट्रीय व्यवसायिक मानको (एन.ओ.एस.) के अनुरूप संचालित नही पाये गये व इनके संचालन में निम्नलिखित विसंगतियां पायी गयी हैं :

(i) निजी सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान बन्द पाये गये व उनके पास प्रशिक्षण हेतु कोई सुविधा नही पायी गयी। इन संस्थानो द्वारा बिना किसी व्यवहारिक प्रशिक्षण के ही प्रमाण पत्र जारी किये गये है, जो पसारा एक्ट 2005 एवं नियम 2006 का गम्भीर उल्लंघन है।

(ii) निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अधिकांश निजी सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थानों के पास उपलब्ध कक्षा एवं लैब हेतु पर्याप्त संख्या में कक्ष उपलब्ध नही है व इनका आकार भी राष्ट्रीय व्यवसायिक मानक (एन.ओ.एस.) के अनुरूप (क्रमश : 240 व 225 वर्ग फीट) नही पाया गया है।

(iii) निजी सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण संस्थान का लाइसेन्स प्राप्त करते समय प्रशिक्षण संस्थान परिसर का व्यापक बल्यू प्रिंट कार्यालय में जमा करवाया जाता है तथा पुलिस सत्यापन भी इसी आधार पर करवाया जाता है। निरीक्षण के दौरान स्पष्ट हुआ है कि कुछ प्रशिक्षण संस्थानों के पास आउट डोर प्रशिक्षण हेतु ग्राउण्ड एवं प्रशिक्षण हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध नही है, जो निजी सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान की प्रशिक्षण प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह अंकित करते हैं।

(iv) निरीक्षण के दौरान पाया गया है कि अधिकांश निजी सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा राष्ट्रीय व्यवसायिक मानक (एन.ओ.एस.) के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन नही किया जा रहा है। प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा नियुक्त प्रशिक्षको की योग्यता निर्धारित एन.ओ. एस. के अनुसार नही है जिससे प्रशिक्षण कार्यक्रम की गुणवता क्षीण होती है।

(v) निजी सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थानो द्वारा आवश्यक रजिस्टर्स एवं दस्तावेज जैसे कोर्स विवरण व प्रशिक्षणार्थी हेतु उपस्थिति पंजिका एवं उनको जारी किये जाने वाले प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों के रिकार्ड का संधारण मय आवेदन फॉर्म के नही किया जा रहा है। इससे यह ज्ञात नही हो पाता है प्रशिक्षणार्थी द्वारा कब और किस बैच में प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है।

––4

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान राज्य में संचालित सभी निजी सुरक्षा अभिकरणों एवं निजी सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थानों के अनुज्ञाधरको को परामर्श दिया जाता है कि उपरोक्त वर्णित कमियों को दूर कर पसार एक्ट 2005 एवं राजस्थान प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी (विनियमन) नियम, 2006 के प्रावधानो की सम्पूर्ण पालना सुनिश्चित करते हुए निजी सुरक्षा अभिकरण एवं निजी सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का संचालन किया जावे। साथ ही समस्त निजी सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान राष्ट्रीय व्यवसायिक मानक (एन.ओ.एस.) के अनुरूप अपने संस्थान में सभी मूलभूत सुविधा, उपकरण व प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन सुनिश्चित करें।

भविष्य में दोषी पाये जाने वाली निजी सुरक्षा अभिकरण एवं निजी सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान के विरूद्ध नियमानुसार पसारा एक्ट में आंपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कराने एवं लाइसेन्स निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

15.06.2020

(राजीव दासोत, IPS)
नियंत्रक प्राधिकारी
(महानिदेशक, गृह रक्षा)
राजस्थान, जयपुर